न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांचर गल वर्गा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 392/23 (धारा 75 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2023/417)

1. श्रीमती केलादेवी पत्नी रामकरण
2. श्रीमती गोत्यादेवी पत्नी स्व0 देवपाल
3. श्रीमती धोलीदेवी पत्नी सोराम
4. श्रीमती मथुरादेवी पत्नी सोजी

जातियान गुर्जर निवासीयान हथडोली तहसील वौली जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वौली जिला स0मा0।
2. अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति उपजिला कलक्टर स0मा0।
3. राजेश गुर्जर पुत्र प्रभू
4. प्रभू गुर्जर पुत्र तुलस्या

जातियान गुर्जर नि0 हथडोली तह0वौली

5. लटूर पुत्र बंजरंगा
6. पप्पू पुत्र बजरंगा

जातियान प्रजापत निवासी हथडोली तहसील वौली जिला सवाईमाधोपुर।

..... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर सवाई माधोपुर निर्णय दिनांक 30.07.2018 प्रकरण संख्या 23/2017 राजेश गुर्जर बनाम अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति वगैराह व सिलसिले आवंटन निरस्त किये जाने।

उपस्थितिः–

श्री मनीष तंवर वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 31.01.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 30.07.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के द्वारा तहत अदालत जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ, भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत रैस्पोडेन्ट संख्या 1,2,5,6 के खिलाफ पेश करते हुये निवेदन किया कि उपजिला कलक्टर सवाई माधोपुर के द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन दिनांक 27.05.1981 वहक रैस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 के पिता बजरंगा पुत्र गणेश जाति प्रजापत विधिसम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किया जावे। तहत अदालत जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा बाद कार्यवाही प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2018 पारित करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुये रैस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 के पिता बजरंगा पुत्र गणेश प्रजापत के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 27.05.1981 को निरस्त कर दिया गया।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2018 के विरूद्ध अपीलान्टस द्वारा यह अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक 24.01.2024 को वकील उभयपक्ष उपस्थित हुये वकील अपीलान्ट को सुना गया। वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा निर्णय दिनांक से पूर्व लिखित बहस पेश किये जाने का अनुरोध किया गया, किन्तु दिनांक 31.01.2024 तक रैस्पोडेन्ट की ओर से लिखित बहस पेश नहीं की गई है। लिहाजा वकील अपीलान्ट की बहस एवं वहालत मौजूदा रिकार्ड के आधार पर इस प्रकरण को निर्णित किया जा रहा है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.07.2018 रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। ग्राम हथडोली तहसील बौलीं में भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम हथडोली में अन्य भूमिहीन लोगों के साथ–साथ पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर बजरंगा पुत्र गणेश को नियमानुसार आवंटन की गई थी। आवंटन के बाद पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा बजरंगा को गवाहों की उपस्थिति में कब्जा संभलाया गया। इस प्रकार आवंटन की दिनांक 27.05.1981 से ही उक्त भूमि पर बजरंगा पुत्र गणेश ने उक्त आराजी को काश्त के काबिल बनाने के लिये लोगों से रूपये उधार लिये और आराजी को समतल कराया। देशी खाद एवं उपजाऊ मिट्टी खेतों में डाली, पानी रोकने के लिये चारों तरफ डोल मेड बनाई गई और काश्त करना शुरू किया। आवंटन दिनांक 27.05.1981 से आवंटी बजरंगा का राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज हो गया तथा लगातार कब्जा रहने से बजरंगा को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। उक्त आराजी बजरंगा की मृत्यु के पश्चात लटूर, पप्पू, कन्हैया पुत्रान बजरंगा एवं गुलाब पत्नी बजरंगा के नाम विरासतन के अधार पर दर्ज हो गयी। लटूर, पप्पू, कन्हैया व गुलाब को घर खर्च वास्ते रूपयों की आवश्यकता हुई तो इन लोगों ने अपनी आराजी खाता संख्या 302 खसरा नम्बर 840 नया नम्बर 1345/1646 रकबा 1.26 है0 का विक्रय अपीलान्टस के नाम करवा दिया तथा कब्जा संभलवा दिया। अपीलान्टस के नाम उक्त आराजी का नामान्तरकरण खुल गया तभी से अपीलान्टस विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। रैस्पोडेन्टस संख्या 3 व 4 ने न्यायालय जिला कलक्टर के समक्ष उक्त आराजी के संबध में गलत तथ्य पेश कर निगरानी पेश कर दी तथा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के समक्ष दावा दिनांक 14.10.2017 को एक दावा बाबत घोषणा हुक्म इम्तनाई व नल एण्ड वॉइड घोषित कराने आवंटन विक्रय पत्र खसरा नम्बर 840 पेश कर दिया। जिसमें रैस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 द्वारा लटूर व पप्पू जो कि अनपढ व्यक्ति है उनको प्रलोभन देकर आवंटित भूमि का कब्जा नहीं संभलवाने की बाबत जबाब दावे में पेश करवा दिया जो कि गलत है जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरी से होती है, उक्त दस्तावेज

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट द्वारा पेश किये गये हैं। अपीलान्टस उपरोक्त आराजी के सद्भावी केता हैं। उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई निगरानी में पक्षकार नहीं बनाये जाने व लटूर व पप्पू के उपस्थित नहीं होने के आधार पर अदालत मातहत द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.07.2018 को पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय में लटूर व पप्पू के पिता बजरंगा पुत्र गणेश प्रजापत के पक्ष में किया गया। आवंटन आदेश दिनांक 27.05.1981 को निरस्त करने का आदेश पारित किया है, जो कि अपीलान्टस की बैक पर सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिये बिना एकतरफा में पारित किया है, जो कि निरस्तनीय है। अपीलाधीन निर्णय में विद्वान जिला कलक्टर ने यह उल्लेख किया है कि विवादित भूमि की किस्म चारागाह होने के कारण उक्त भूमि आवंटन योग्य नहीं थी। जबकि वक्त आवंटन उक्त भूमि की किस्म बंजड थी। जिसकी पुष्टि अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से भलीभांति हो रही है। आवंटन के समय आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक से भूमिहीन कृषकों की सूची मांग कर भूमिहीन कृषकों को खसरा नम्बर 840 जो वक्त आवंटन राजस्व रिकार्ड में बंजड दर्ज था, का आवंटन किया गया था। पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में विवादित भूमि के चारागाह होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया था। इस कारण आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अन्य भूमिहीन व्यक्तियों के साथ–साथ बजरंगा को भी 5 बीघा भूमि आवंटित की गई एवं मौके पर कब्जा संभलवाया था। विद्वान जिला कलक्टर ने अपीलाधीन निर्णय में जिस आरआरटी का हवाला दिया है वह सिद्धान्त उक्त प्रकरण पर इसलिए चस्पा नहीं होता है, क्योंकि वक्त आवंटन विवादित भूमि की किस्म बंजड थी। आवंटन दिनांक 27.05.1981 से आवंटी बजरंगा एवं उसके उत्तराधिकारीगण तथा विक्रय के बाद से आज तक अपीलान्ट उक्त भूमि पर शान्तीपूर्ण तरीके से लगभग 37 वर्षों से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। यदि आवंटन गलत किया गया था तो उसकी अपील उसी समय की जानी चाहिए थी, परन्तु रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत की गई मियाद बाहर निगरानी को अदालत मातहत के द्वारा अपीलाधीन निर्णय के द्वारा स्वीकार किया है। जबकि उक्त निगरानी मियाद संबंधी बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य थी। उक्त भूमि का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बजरंगा को नियमानुसार किया गया था। जिसमें आवंटन के पश्चात से ही बजरंगा व क्रय के बाद से अपीलान्टस काश्त करते चले आ रहे हैं। जिस से करीबन 37 वर्ष का समय हो गया है। इसलिऐ राज्य सरकार भी विधि द्वारा विबन्धित है। वकील अपीलान्ट ने इसी तरह के प्रकरण में जिला कलक्टर सवाई माधोपुर में रैस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 25/17 व 26/17 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया कि उपरोक्त निर्णयों में जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने 14(4) संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है, क्योंकि उक्त निर्णयों

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

में जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने उनके समक्ष प्रस्तुत हुए समस्त तथ्यों को विवेचित करते हुए निर्णय पारित किया है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 10.08.2018 को होते ही निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया। जिसकी नकल दिनांक 20.08.2018 को प्राप्त की गई व निर्णय की नकल प्राप्त होते ही अन्दर मियाद अपील पेश की गई है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.07.2018 निरस्त किया जाकर आवंटन सलाहकार समिति की ओर से दिनांक 27.05.1981 को किया गया आवंटन बहाल किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त अपील के रैस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के द्वारा रैस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 को पक्षकार बनाते हुए जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन सलाहकार समिति सवाई माधोपुर की ओर से दिनांक 27.05.1981 को किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने बाबत इस आधार प्रार्थना पत्र पेश किया कि जो भूमि रैस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 के पिता को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गई थी। उसकी किस्म बंजड नहीं होकर चारागाह भूमि है तथा चारागाह भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित नहीं किया जा सकता। इसलिए दिनांक 27.05.1981 को किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर विवादित भूमि को पुनः राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे। जिला कलक्टर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत हुए रिकार्ड व दस्तावेज का अवलोकन करने के बाद प्रार्थीगण के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.07.2018 को पारित किया है। जिसमें यह उल्लेख किया है कि आवंटित भूमि की किस्म आवंटन से पूर्व चारागाह थी, जिसकी किस्म परिवर्तन करने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को नहीं होना मानकर अप्रार्थीगण के पिता बजरंगा पुत्र गणेश प्रजापत के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 27.05.1981 को विधिसम्मत श्रेणी में नहीं होना मानकर आवंटन आदेश खारिज होना न्यायोचित मानकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.07.2018 से आवंटन आदेश दिनांक 27.05.1981 को निरस्त किये जाने का आदेश दिया गया। अपीलान्ट की ओर से जो दस्तावेज अदालत हाजा में पेश किये गये हैं। उनमें खसरा नंबर 840, 887 व जमाबन्दी खतौनी तथा मिलान क्षेत्रफल की फोटोप्रतियां व जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से रैस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की ओर से विवादित भूमि में ही किये गये आवंटन के संबंध में प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र संख्या 25/17 व 26/17 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई हैं। जिनमें रैस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 के पिता को आवंटित भूमि की किस्म सिवायचक होने व खसरा गिरदावरी में भी बंजड भूमि होने का उल्लेख किया गया है तथा जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पारित निर्णय दिनांक 08.05.2019 में रैस्पोडेन्ट संख्या 3 से 4 की ओर से प्रस्तुत 14(4) संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का आदेश दिया है। उक्त निर्णय में यह भी माना है कि पूर्व में पारित निर्णय अप्रार्थीगण के उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय बहस के आधार पर निर्णय पारित किया गया था। इस कारण तत्समय न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण तथ्य नहीं आए थे। इसलिए अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात व जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से इसी तरह के प्रकरण में पारित दो निर्णयों दिनांक 08.05.2019 के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.07.2018 उचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.07.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का भलीभांति परीक्षण करने तथा इसी तरह के प्रकरण में उनके न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2019 के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त प्रकरण का परीक्षण कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर